


# मणिपुर में भाषाई संरचना

यू. ए. शिमरे

**भ**ारत के गज़ेटियर (खण्ड 1) के अनुसार भाषा मौखिक प्रतीकों का एक समूह है जिसे सामाजिक इकाइयां सहयोग तथा विचारों के आदानप्रदान हेतु उपयोग में लाती हैं। भाषा केवल संवाद का एक माध्यम ही नहीं है, बल्कि इसके अनेक जातीय, सामाजिक व राजनैतिक निहितार्थ भी होते हैं। प्रत्येक जातीय समूह की अपनी एक अलग बोली अथवा उपभाषा होती है। इन बोलियों (उपभाषाओं) का प्रयोग करने वाले लोग इसे अपनी भाषा के रूप में ही देखते हैं।

किसी ऐसे समाज में जहां अनेक जातीय समूह होते हैं तथा उनकी अलग-अलग उपभाषाएं होती हैं, वहां या तो एक समूह की भाषा अन्य समूहों पर थोपी जाती है या फिर किसी एक भाषा का प्रभुत्व कायम हो जाता है। किस भाषा का प्रभुत्व होगा, यह उस भाषा को बोलने वालों की संख्या व उनके महत्व पर निर्भर करता है। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रभुत्व हो जाता है तथा अल्पसंख्यक समुदायों की भाषाओं को गौण स्थान प्राप्त होता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अल्पसंख्यकों की बोलियां विलुप्त हो गई हैं। मसलन



अमरीका के रेड इण्डियनों की भाषाएं लगभग गुम हो चुकी हैं।

उपरोक्त बातें भारत में भी हुई हैं क्योंकि यहां भी भाषाई विभिन्नताओं का बाहुल्य है। यहां की भाषाओं को चार समूहों में बांटा गया है

- (अ) चीनी-तिब्बती भाषाएं
- (ब) औस्ट्रिक भाषाएं
- (स) इण्डो-आर्य भाषाएं
- (द) द्रविड़ भाषाएं

भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में द्विभाषी या

त्रिभाषी लोगों की संख्या बहुत अधिक है। यहां तक कि निरक्षर लोग भी द्विभाषी अथवा त्रिभाषी होते हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई परिवार, स्वजनों का समूह अथवा समुदाय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करते हैं तो ये लोग वहां की भाषा सीख लेते हैं। किन्तु ऐसा वे अपने पूर्वजों की भाषा को तिलांजलि दिए बिना करते हैं। इस प्रकार वे द्विभाषिक अथवा त्रिभाषिक हो जाते हैं।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। किन्तु अल्पसंख्यक भाषाओं विशेषतः आदिवासियों की भाषाओं को विलुप्त

**भारत के गज़ेटियर (खण्ड 1) के अनुसार भाषा मौखिक प्रतीकों का एक समूह है जिसे सामाजिक इकाइयां सहयोग तथा विचारों के आदानप्रदान हेतु उपयोग में लाती हैं। भाषा केवल संवाद का एक माध्यम ही नहीं है, बल्कि इसके अनेक जातीय, सामाजिक व राजनैतिक निहितार्थ भी होते हैं। प्रत्येक जातीय समूह की अपनी एक अलग बोली अथवा उपभाषा होती है। इन बोलियों (उपभाषाओं) का प्रयोग करने वाले लोग इसे अपनी भाषा के रूप में ही देखते हैं।**

